

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहतक का कार्यालय.
सार्वजनिक रोजगार की सूचना

चपरासी/ अतिरिक्त चपरासी के 10 पदों को पूरी तरह से तदर्थ आधार (**On Adhoc basis**) पर ₹16,900/- प्रति माह के समेकित वेतन पर भरने के लिए आम जनता से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, शुरू में छह महीने की अवधि के लिए या नियमित नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो.

उक्त पदों का श्रेणी-वार विवरण निम्नानुसार है:

चपरासी/ अतिरिक्त चपरासी (तदर्थ आधार पर / On Adhoc basis)

कुल पदों की संख्या	सामान्य	ईडब्ल्यूएस	एससी (ओएससी)	बीसी (बी)	पीडब्ल्यूबीडी कैट (बी) श्रवण बाधित	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	
						एससी (डीएससी)	बीसी-ए
10	04	01	01	01	1	1	1

1. शैक्षणिक योग्यता:

आवेदक को मिडिल स्टैंडर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हिंदी/पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए.

2. आयु:

01.01.2026 को कोई भी व्यक्ति सेवा में भर्ती नहीं किया जाएगा यदि वह 18 वर्ष से कम या 42 वर्ष से अधिक आयु का है. बशर्ते कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों/आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार के मामले में, ऊपरी आयु सीमा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी.

3. आरक्षण:

i. आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा राज्य के वास्तविक अधिवासियों/निवासियों को ही देय है, जैसा कि हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 22/67/81-3 जीएस III दिनांक 15.07.1985 के अनुसार है.

ii. हरियाणा अधीनस्थ न्यायालय स्थापना (भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1997 के नियम 7 (iii) के स्पष्टीकरण के अनुसार 'जहां आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो सामान्य श्रेणी से नियुक्ति की जाएगी'.

4. अंतिम तिथि:

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि चाहे डाक द्वारा या हाथ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायालय, रोहतक-124001 के कार्यालय में **10.02.2026** को शाम **05:00** बजे तक होगी. उसके बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर किसी भी मामले में विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी आगे के पत्राचार के सीधे खारिज कर दिया जाएगा. डाक या अन्य अधिकारियों की ओर से देरी, नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार करने का कोई आधार नहीं होगी. ई-मेल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर किसी भी तरह से विचार/स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसी तरह, सार्वजनिक सूचना जारी होने की तारीख से पहले प्राप्त आवेदन, यदि कोई हो, पर किसी भी तरह से विचार नहीं किया जाएगा.

5. एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ विधिवत स्वप्रमाणित या राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कर आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर चिपकाया जाना चाहिए और शैक्षणिक दस्तावेजों और श्रेणी (जाति), अनुभव आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए. बैंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को अपने आवेदन में अपनी श्रेणी का उल्लेख करना चाहिए और विकलांगता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए.

6. आवेदकों को आवेदन पत्र में अपनी सभी शैक्षणिक योग्यताओं और अन्य घोषणा/प्रमाण पत्र का खुलासा करना चाहिए. इसका खुलासा न करने पर संबंधित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है.

7. अधूरे आवेदन या अपेक्षित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन बिना कोई कारण बताए सीधे खारिज कर दिए जाएंगे। अधूरे आवेदनों या अंतिम तिथि यानी 10.02.2026 के बाद प्राप्त होने के कारण इस कार्यालय द्वारा अस्वीकार किए गए आवेदनों के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. अहस्ताक्षरित आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कम उम्र और अधिक उम्र के उम्मीदवारों के आवेदनों को भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक बार उम्मीदवार द्वारा आवेदन में उल्लिखित श्रेणी को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, अस्वीकृति सूची इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

9. आवेदन पत्र जिला न्यायालय रोहतक की वेबसाइट यानी <https://Rohtak.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/> से डाउनलोड किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आगे के अपडेट के लिए 10.02.2026 के बाद नियमित रूप से वेबसाइट पर जाएं।

10. साक्षात्कार का कार्यक्रम नियत समय में आधिकारिक वेबसाइट यानी <https://rohtak.dcourts.gov.in> पर अपलोड कर दिया जाएगा।

11. आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, आवेदकों की पात्रता/उपयुक्तता, चयन के तरीके/मानदंड आदि से संबंधित सभी मामलों में चयन समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

12. पात्र उम्मीदवारों की सूची जिसमें रोल नंबर होंगे, साक्षात्कार शुरू होने से काफी पहले जिला न्यायालय, रोहतक की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, हालांकि, पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए कोई अलग कॉल लेटर नहीं भेजा/जारी किया जाएगा।

एसडी/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रोहतक